

छत्तीसगढ़ शासन
कृषि एवं जैव प्रौद्योगिकी विभाग
मंत्रालय,
महानदी भवन, नया रायपुर-492002
-: अधिसूचना :-

रायपुर दिनांक 27/07/2017

क्रमांक/5834/एफ-08/89/PMFBY/2016/14-2 :: प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना अंतर्गत खरीफ 2017 हेतु जारी विभागीय अधिसूचना क्र. 4211 दिनांक 24.05.2017 में एतद द्वारा निम्नानुसार संशोधन किया जाता है :-

1. अधिसूचना के बिन्दु क्रमांक 3 (क) में उल्लेखित "वित्तीय संस्थानों से जिनकी मौसमी कृषि ऋण की सीमा खरीफ 2017 हेतु 01.04.2017 से 31.07.2017 तक स्वीकृत/नवीनीकृत की गई हो।" के स्थान पर "वित्तीय संस्थानों से जिनकी मौसमी कृषि ऋण की सीमा खरीफ 2017 हेतु कृषकों से बीमा आवेदन/प्रस्ताव प्राप्त करने की अंतिम तिथि या उसके पूर्व स्वीकृत/नवीनीकृत की गई हो।" पढ़ी जावे।
2. अधिसूचना के परिशिष्ट-1 में जिला - राजनांदगांव, तहसील - खैरागढ़, आरआई सर्किल - पाडादाह के तालिका की सरल क्र. 47 में उल्लेखित ग्राम पंचायत सिंगारघाट तथा अंतिम सरल क्र. 60 के आगे स.क्र. 61 में ग्राम पंचायत "जुरलाकला" को जोड़ते हुये उनके सम्मुख "√" चिन्हित फसल को अधिसूचित किया जाता है:-

क्र.	ग्राम पंचायत	धान (सि.)	धान(असिं.)	मक्का	सोयाबीन	तुअर	मूंग	मूंगफल्ली	उड़द
47	सिंगारघाट	√	√	0.00	√	4.39	0.00	0.00	√
61	जुरलाकला	√	√	0.00	√	6.60	4.23	0.00	√

3. जिला - धमतरी, तहसील - नगरी, आरआई सर्किल -नगरी सिहावा के तालिका के स. क्र. 97 में उल्लेखित ग्राम पंचायत सेमरा को विलापित किया जाता है तथा अंतिम सरल क्र. 99 के आगे स.क्र. 100 में ग्राम पंचायत "करही" को जोड़ते हुये निम्नानुसार सरल क्रमांकवार उल्लेखित ग्राम पंचायत में उनके सम्मुख "√" चिन्हित फसल को अधिसूचित किया जाता है:-

क्र.	ग्राम पंचायत	धान (सि.)	धान(असिं.)	मक्का	सोयाबीन	तुअर	मूंग	मूंगफल्ली	उड़द
19	गट्टासिल्ली	6.95	√	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	मुनईकेरा	√	√	5.05	0.00	1.70	0.00	1.90	12.00
35	कोंगेरा	12.14	√	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.20
43	हिरीडिही	√	√	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.27
51	कट्टीगांव	√	√	√	0.00	2.95	10.05	0.00	9.37
100	करही	0.00	√	4.40	0.00	0.00	0.00	0.00	4.40

पूर्व में जारी अधिसूचना की शेष शर्तें यथावत रहेगी।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(के.सी.पेकरा)
संयुक्त सचिव

छत्तीसगढ़ शासन,
कृषि एवं जैव प्रौद्योगिकी विभाग